न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4030–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–11–2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार शुजालपुर, जिला–शाजापुर द्वारा प्रकरण कमांक 56/अ–6/2013–14

.....

शिवचरण लाल पिता सुंशीराम
निवासी–श्रीनगर कालोनी
शुजालपुर मण्डी तहसील शुजालपुर,
जिला–शाजापुर ..... आवेदक

विरूद्ध

1– विनोद कुमार पिता छगनलाल
निवासी–वार्ड नंबर 19, भानजी मार्ग, शुजालपुर मण्डल
.....अनावेदक
श्रीमती सुशीला बाई पत्नी छगनलाल मृतक वारिसानः–
2– मानसिंह पिता फतेहलाल
निवासी–आर्वी, जिला वर्धा (महाराष्ट्र)
3– सूरजबाई पिता फतेहलाल
निवासी–लोणार जिला बुलणाना (महाराष्ट्र)
4– निर्मला बाई पिता फतेहलाल
निवासी–जयहिन्द टाकीज के पास वार्ड क्र0 5
.....अनावेदकगण

.....

श्री पी0के0 गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री योगेन्द्र पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1
श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक, अनावेदक क्र0 3 एवं 4

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14अगस्त 2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, शुजालपुर,

जिला–शाजापुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्र0 1 द्वारा संहिता की धारा 109 के अंतर्गत वसीयतनामा के आधार पर प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 1965/1 रकबा 0.011 है0 पर नामांतरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र न्यायालय तहसीलदार शुजालपुर के समक्ष पेश किया गया। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन रहते आवेदक द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 के तहत आवेदन पेश कर निवेदन किया कि उक्त विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 1965/1 रकबा 0.011 है0 पर आवेदक का भी हक है। नामांतरण प्रकरण में आवेदक भी हितबद्ध पक्षकार होने से उसे पक्षकार बनाया जाये। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 17–11–2014 के द्वारा आवेदक का आवेदन उद्घघोषणा की अवधि में प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर निरस्त किया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 17–11–2014 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया कि सर्वे कमांक 1965/1/मीन में आवेदक सहभूमिस्वामी है। उक्त भूमि का विधिवत बंटवारा भी नहीं हुआ है तथा नामांतरण प्रकरण में सहकृषक को भी पक्षकार बनाना आवश्यक है। यह भी तर्क दिया कि प्रकरण में कोई भी आवश्यक पक्षकार जिसका हित प्रभावित होता हो वह संबंधित प्रकरण की जानकारी प्राप्त होने पर प्रकरण में अपने हितों की रक्षा करने के लिये पक्षकार बनने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। अतः तहसीलदार का आदेश दिनांक 17–11–14 निरस्त किया जाकर आवेदक को पक्षकार बनाने के आदेश प्रदान किये जाये।

4/ अनावेदक कं 1 के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनावेदक कं 2,3 एवं 4 से स्व0 सुशीलाबाई पत्नी छगनलाल ने दिनांक 20–7–2001 को भूमि कय की थी। श्रीमती सुशीला बाई ने जीवित अवस्था में एक वसीयत दिनांक 12–9–2005 को निष्पादित की थी। सुशीलाबाई की मृत्यु 06–12–2007 को

हो गई है। वसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरांत मुझ वसीयतग्रहित ने वसीयत के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। आवेदक को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि आवेदक प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है। तहसीलदार ने विधिवत आवेदक को सुनने के पश्चात पक्षकार बनाने संबंधी आवेदन निरस्त किया है। अतः निगरानी निरस्त की जाए।

5/ अनावेदक कमांक 2 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

6/ अनावेदक कमांक 3 एवं 4 के अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 ने स्व0 सुशीलबाई को रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से प्रश्नाधीन भूमि विकय कर दी थी। अब उनका उक्त भूमि पर कोई स्वत्व शेष नहीं है।

7/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक ने आदेश 1 नियम 10 का आवेदन पेश किया गया था जिसपर तहसीलदार ने सकारण आदेश पारित न कर मात्र तकनीकी आधार पर आवेदन को निरस्त किया है। अतः तहसीलदार का आदेश मात्र आवेदक को पक्षकार बनाये जाने के निर्णय के अंश तक निरस्त किया जाकर आवेदक को हितबद्ध पक्षकार है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरांत आदेश 1 नियम 10 के आवेदन पर सकारण आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर